

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2338
(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)
डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत उपलब्धियाँ

2338. श्री विजय बघेल:

श्री अरविंद धर्मापुरी:

श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत 2019 से, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ख) विशेष रूप से महिला लाभार्थियों को मिशन के अंतर्गत क्या लाभ दिए जा रहे हैं; और

(ग) मिशन के अंतर्गत 2019 से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बजट आवंटन और व्यय की कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) यह मंत्रालय पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें तब तक निरंतर सहयोग और सहायता प्रदान करना है जब तक कि क्रमिक रूप से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार न हो तथा वे अत्यंत गरीबी से बाहर न निकल जाएं। दिनांक 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार, इस मिशन को 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 742 जिलों के 7135 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा

रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.86 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों में संगठित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वर्ष 2019 से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) डीएवाई-एनआरएलएम योजना एक व्यापक पहल है जिसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और अत्यंत जरूरी वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधन प्रदान करने वाली सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन हेतु तैयार किया गया है। यह योजना बहु- क्षेत्रीय अभिसरण सुनिश्चित करते हुए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (एसबीसीसी) के माध्यम से सामाजिक समावेशन पर जोर देती है और स्वच्छ भारत मिशन तथा पोषण अभियान जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुँच को आसान बनाती है। यह योजना डिजिटल वित्तीय प्रणाली के माध्यम से विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेखांकन और ऋण प्रबंधन जैसे कौशल प्रदान करके बैंकिंग कोरेसपोनडेंट सखियों के रूप में प्रशिक्षित करती है। डीएवाई-एनआरएलएम कृषि और गैर-कृषि दोनों आजीविकाओं के लिए सहयोग प्रदान करता है, यह मिशन महिला किसानों को कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों और बाजार पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाता है, जबकि स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) जैसी पहलों के माध्यम से हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के रूप में एसएचजी सदस्यों की भागीदारी और महिला उद्यम त्वरित निधि (डब्ल्यूईएएफ) के माध्यम से आसान ऋण शर्तों का प्रावधान महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।

(ग) इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 से अब तक कुल बजट आबंटन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** (क) और (ख) में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए “डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत उपलब्धियां” के संबंध में नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-1

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वर्ष 2019 से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | राज्य | 2019-20 से 2023-24 तक संगठित किए स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या | 2019-20 से 2023-24 तक स्वयं सहायता समूहों में शामिल किए गए परिवारों की कुल संख्या |
|-------------|-----------------|--|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 44717 | 854991 |
| 2 | असम | 122799 | 1539969 |
| 3 | बिहार | 300491 | 3276449 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 136951 | 1561756 |
| 5 | गुजरात | 49170 | 435925 |
| 6 | झारखंड | 107320 | 1415777 |
| 7 | कर्नाटक | 212120 | 2355536 |
| 8 | केरल | 38933 | 732230 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 243592 | 3038154 |
| 10 | महाराष्ट्र | 362792 | 3604738 |
| 11 | ओडिशा | 198460 | 1970031 |
| 12 | राजस्थान | 235202 | 2816519 |
| 13 | तमिलनाडु | 100006 | 1170990 |
| 14 | तेलंगाना | 36217 | 537454 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 672333 | 7766680 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 553600 | 5799933 |
| 17 | हरियाणा | 34006 | 349245 |
| 18 | हिमाचल प्रदेश | 27945 | 241675 |
| 19 | जम्मू और कश्मीर | 52331 | 455634 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 20 | पंजाब | 43948 | 456904 |
| 21 | उत्तराखंड | 45106 | 325143 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 7914 | 66414 |
| 23 | मणिपुर | 7681 | 81572 |
| 24 | मेघालय | 33632 | 324845 |
| 25 | मिजोरम | 5244 | 40172 |
| 26 | नगालैंड | 8681 | 75304 |
| 27 | सिक्किम | 3231 | 30909 |
| 28 | त्रिपुरा | 43106 | 409960 |
| 29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 599 | 6277 |
| 30 | गोवा | 1431 | 20540 |
| 31 | लद्दाख | 1550 | 11710 |
| 32 | लक्षद्वीप | 192 | 2643 |
| 33 | पुदुचेरी | 1903 | 22156 |
| 34 | दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली | 722 | 7264 |
| | कुल: | 3733925 | 41805499 |

अनुबंध-11 (क)

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए “डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत उपलब्धियां” के संबंध में नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध-11

इस मिशन के अंतर्गत 2019 से अब तक कुल बजट आवंटन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| एनआरएलएम के तहत 2019-20 से जून 2024 तक आवंटन और व्यय (रुपये करोड़ में) | | | |
|--|-------------------------|----------------|---------|
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | केंद्रीय आवंटन | व्यय* |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1190.7 | 1281.73 |
| 2 | बिहार | 5368.98 | 7430.89 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 1192.48 | 1370.87 |
| 4 | गोवा | 35.5 | 43.21 |
| 5 | गुजरात | 807.83 | 911.58 |
| 6 | हरियाणा | 428.15 | 317.51 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 210.49 | 179.81 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 581.18 | 557.79 |
| 9 | झारखंड | 2024.42 | 2728.15 |
| 10 | कर्नाटक | 1622.84 | 1891.86 |
| 11 | केरल | 691.62 | 713.64 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 2311.46 | 2245.91 |
| 13 | महाराष्ट्र | 2982.89 | 3477.82 |
| 14 | ओडिशा | 2704.81 | 3848.17 |
| 15 | पंजाब | 219.68 | 222.57 |
| 16 | राजस्थान | 1294.12 | 1789.2 |
| 17 | तमिलनाडु | 1995.61 | 2697.82 |
| 18 | तेलंगाना | 805.56 | 456.41 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 7727.62 | 8536.46 |
| 20 | उत्तराखंड | 405.38 | 410.38 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 21 | पश्चिम बंगाल | 2731.67 | 3286.84 |
| 22 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 31.5 | 17.27 |
| 23 | दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली | 27 | 7.97 |
| 24 | लक्षद्वीप | 13.89 | 9.28 |
| 25 | लद्दाख | 33.99 | 6.82 |
| 26 | पुदुचेरी | 72 | 47.72 |
| 27 | अरुणाचल प्रदेश | 513.01 | 372.62 |
| 28 | असम | 1954.35 | 1781.87 |
| 29 | मणिपुर | 505.45 | 171.47 |
| 30 | मेघालय | 800.58 | 564.36 |
| 31 | मिजोरम | 578.89 | 272 |
| 32 | नगालैंड | 755.49 | 396.58 |
| 33 | सिक्किम | 259.09 | 73.48 |
| 34 | त्रिपुरा | 1205.11 | 892.35 |
| | कुल | 44083.34 | 49012.4 |

* व्यय में राज्य अंश, प्रारंभिक शेष और विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं।

अनुबंध- II (ख)

| एनआरईटीपी के तहत 2019-20 से जून 2024 तक आवंटन और व्यय (करोड़ रुपये में) | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | केंद्रीय आवंटन | व्यय* |
| 1 | असम | 162.31 | 115.33 |
| 2 | बिहार | 492.91 | 839.34 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 205.23 | 287.64 |
| 4 | गुजरात | 64.63 | 47.29 |
| 5 | झारखंड | 240.37 | 299.89 |
| 6 | कर्नाटक | 87.98 | 90.23 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 302.96 | 228.79 |
| 8 | महाराष्ट्र | 307.85 | 267.62 |
| 9 | ओडिशा | 181.92 | 197.45 |
| 10 | राजस्थान | 163.16 | 160.43 |
| 11 | तमिलनाडु | 81.30 | 91.64 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 286.95 | 146.46 |
| 13 | पश्चिम बंगाल | 283.27 | 493.05 |
| | कुल | 2860.84 | 3265.16 |

टिप्पणी- व्यय में राज्य अंश, प्रारंभिक शेष और विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं।

*राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) फरवरी, 2019 में शुरू हुई और 30 जून 2024 को समाप्त हो गई।
